महत्वपूर्ण/वित्तीय स्वीकृति
संख्या-2918 /2023/016-58MELA-18

प्रेषक,

धर्मेन्द्र प्रताप सिंह,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
अयोध्या।

नगर विकास अनुभाग-1 लखनऊ : दिनांक 30 नवंबर, 2023

विषय:- जनपद अयोध्या में प्रतिवर्ष आयोजित होने वाले 'मकर संक्रान्ति मेला' को प्रान्तीयकृत मेला घोषित किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-2173/मेला सहा0/मकर संक्रान्ति मेला/2023, दिनांक 07.10.2023 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से जनपद अयोध्या में प्रतिवर्ष आयोजित होने वाले 'मकर संक्रान्ति मेला' को प्रान्तीयकृत मेला घोषित किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2. अवगत कराना है कि शासन की अधिसूचना संख्या-2749/9-1-2023-1750969, दिनांक 16.11.2023 द्वारा जनपद अयोध्या में प्रतिवर्ष आयोजित होने वाले 'मकर संक्रान्ति मेला' को प्रान्तीयकृत मेला घोषित किया जा चुका है।

3. अतएव इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में जनपद अयोध्या के प्रान्तीयकृत मेला-'मकर संक्रान्ति मेला' के आयोजन हेतु धनराशि रू0-90.00 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए धनराशि **रू0-90.00 लाख (रूपये नब्बे लाख मात्र)** आपके निवर्तन पर रखने की सहर्ष स्वीकृति श्री राज्यपाल द्वारा निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान की जाती हैः-

(i) उक्त स्वीकृत धनराशि का मितव्ययतापूर्ण व्यय विवरण मय फोटोग्राफ उपयोगिता/उपभोग प्रमाण पत्र शासन को उपलब्ध कराते हुए यदि कोई धनराशि अवशेष रह जाती है, तो उसको तत्काल समर्पित किया जाना सुनिश्चित किया जाय।

(ii) उक्त धनराशि जिन मदों के लिये स्वीकृत की जा रही है, उन्हीं मदों में उसी सीमा तक व्यय की जायेगी। किसी भी मद में बिना शासन की अनुमति के व्यावर्तन नहीं किया जायेगा।

(iii) शासन द्वारा समय-समय पर जारी मितव्ययता संबंधी शासनादेशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(iv) स्वीकृत धनराशि का व्यय विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र कार्यालय, महालेखाकार, उ0प्र0 प्रयागराज एवं शासन को समयान्तर्गत अवश्य उपलब्ध कराया जाय।

4. इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 90,00,000 (रुपये नव्वे लाख मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 037 **लेखा शीर्षक** 20530009 40500 स्थानीय निकायों के क्षेत्र में लगने वाले प्रान्तीकृत मेलों एवं प्रदर्शनियों हेतु व्यवस्था **मानक मद** 20 सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन) के नामे डाला जायेगा।

5. यह आदेश वित्त (आय - व्ययक) अनुभाग - 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या - 2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक- 17-मार्च, 2023 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

धर्मेन्द्र प्रताप सिंह

(धर्मेन्द्र प्रताप सिंह)
विशेष सचिव।

संख्या-2918(1)/2023/016-58MELA-18, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उ0प्र0, प्रयागराज।
2. प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम उ0प्र0, प्रयागराज।
3. कोषाधिकारी, जिला अयोध्या ।
4. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा, उ0प्र0 प्रयागराज।
5. वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-9/वित्त आय-व्ययक अनुभाग-1/2।
6. सुपर वेब यूजर्स/कम्प्यूटर सेल, नगर विकास विभाग को एलाटमेंट/विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
7. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

धर्मेन्द्र प्रताप सिंह

(धर्मेन्द्र प्रताप सिंह)
विशेष सचिव।

PMgo

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2023-2024
आवंटन दिनांक-30/11/2023

प्रेषण संख्या:- 2918
आवंटन आदेश संख्या:- 001-2918-2023-016-58MELA-18
अनुदान संख्या:- 37 नगर विकास विभाग(वित्तीय वर्ष 2023-2024 का आवंटन)
लेखाशीर्षक:- 2053 - जिला प्रशासन(आयोजनेत्तर-मतदेय)

094 - अन्य स्थापनाएं
05 - स्थानीय निकायों के क्षेत्र में लगने वाले प्रान्तीकृत मेलों एवं प्रदर्शनियों हेतु व्यवस्था

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		20-सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)	योग
1	अयोध्या-4183-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	9000000 270461000	9000000 270461000
	योग	वर्तमान प्रगामी	9000000 270461000	9000000 270461000

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया नब्बे लाख
महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया सत्ताइस करोड़ चार लाख इकसठ हजार

(कल्याण बनर्जी)
संयुक्त सचिव